

रूपनगढ़ (अजमेर)

13-12-23 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। वकील
जतिवादी उपस्थित। बार-बार आवाज दिलवायी गयी।
बार-बार आवाज दिलवाने के बावजूद वादी व वकील
वादी में से कोई उपस्थित नहीं। अतः अदमहाजरी। अदम
पैश्वी में वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम ली।

13/12/23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

